

अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Observation of the Answer copy/copies by a
Candidate Board Regulation 119, 148)

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
पेशान बाड़ा, रायपुर

1. नाम
2. अनुक्रमांक का नाम (Roll no.)
3. परीक्षा का नाम
4. मुख्य/पूरक
5. परीक्षा वर्ष
6. केन्द्र का नाम
7. केन्द्र क्रमांक
8. नियमित छात्र के लिये संस्था का नाम
-उ.मा.वि.....

विषय : अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

मैं निम्नलिखित विषयों में प्राप्तांकों का सत्यापन कराना चाहता/चाहती हूँ :-

विषय/प्रश्न-पत्र

1.
2.
3.
4.
5.
6.

इस हेतु प्रति विषय/प्रश्न पत्र रुपये 100/- की दर से कुल राशि का बैंक

ड्राफ्ट क्रमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम.....

संलग्न है ।

स.क्र.	विषय	प्राप्तांक	
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक

नोट : जिन विषयों के अंकों का सत्यापन कराना चाहते हो, केवल उसी विषय के प्राप्तांक संबंधित कालम में अंकित किये जावें एवं घोषित परीक्षाफल की अंकसूची की छायाप्रति अथवा इंटरनेट से प्राप्त अंकों की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे अन्यथा सत्यापन संबंधी कार्यवाही नहीं की जावेगी । बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से ही बनवाया जाय ।
परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जावेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

नाम

पता

तह.....पोस्ट ऑफिस.....जिला.....(छ.ग.)

.....पिनकोड

संलग्न :- 1. सूचना पत्र

2. अंकसूची की छायाप्रति

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश

कृपया निम्न निर्देशों को पढ़ने एवं भली-भाती समझने के उपरांत ही आवेदन-पत्र भरें :-

01. परीक्षाफल घोषण दिनांक से तीस दिन की समयावधि माध्यमिक शिक्षा विनियम 1965 के विनियम 119/148 के अधीन छात्र द्वारा किसी विषय में प्राप्त, अंकों के सत्यापन का आवेदन-पत्र ग्राह्य होगा। यदि 30वाँ दिन अवकाश का दिन हो तो उसके उपरांत जो भी आगामी कार्य दिनांक हो, उस दिन तक आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से अंकसूची प्राप्त होने का कारण मान्य नहीं होगा।
02. अंकों के सत्यापन हेतु आवेदन-पत्र डाक द्वारा या मण्डल कार्यालय बिलासपुर में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् होने वाले आवेदन-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
03. अंकों के सत्यापन का शुल्क प्रति प्रश्न पत्र 100/- है। अंकों के सत्यापन हेतु आवेदनपत्र मण्डल के संभागीय कार्यालय में भी सशुल्क जमा कर सकते हैं।
04. यदि शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा है तो बैंक ड्राफ्ट/आई.पी.सी. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को देय बनवाया जावे। यदि अंकों के सत्यापन का प्रार्थना-पत्र रायपुर के स्थान पर मण्डल के किसी संभागीय कार्यालय में जमा किया जाता है तो बैंक ड्राफ्ट, तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पदनाम में बनवाया जाये। परन्तु बी.डी. में रायपुर के स्थान पर संबंधित संभागीय कार्यालय के स्थान का नाम अंकित करवाया जावे। शुल्क के बैंक ड्राफ्ट के पीछे छात्र अपना नाम एवं रोल नम्बर अनिवार्य रूप में अंकित करें।
05. अपूर्ण शुल्क/बिना शुल्क अथवा अधूरी जानकारी वाले आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
06. अंकों के सत्यापन के फलस्वरूप अंकों में/परीक्षाफल में परिवर्तन होने की सूचना मिलने पर मूल अंकसूची, एक आवेदन-पत्र के साथ तत्काल मण्डल कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें ताकि उसमें आवश्यक संशोधन किया जाकर इसे शीघ्रता से आपको लौटाया जा सके।
07. यदि आपको पूरक की पत्रता है तो पूरक का आवेदन-पत्र सर्वप्रथम भरकर निर्देशानुसार जमा करें। पूरक का आवेदन-पत्र भरने हेतु अंकों के सत्यापन के परिणाम का इन्तजार न किया जाये।
08. घोषित परीक्षाफल की अंकसूची की छायाप्रति (फोटोकॉपी) प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में अंकों के सत्यापन का कार्य किया जाना संभव नहीं होगा। इंटरनेट द्वारा जारी अंक तालिका भी मान्य होगी।
09. अंकों का सत्यापन सभी विषयों में कराया जा सकेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर